



राजस्थान—सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान
डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,ब्लाक नम्बर -6
द्वितीय तल,जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।

सूचना अधिकार अधिनियम,2005
की धारा 4(1)(ख)के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल

प्रकाशक
निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान
डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,ब्लाक नम्बर -6
द्वितीय तल,जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर

राजस्थान—सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा,राजस्थान
सूचना अधिकार अधिनियम,2005

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	धारा	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	धारा 4(1)(ख)(i)	विभाग की विशिष्टियां,कृत्य और कर्त्तव्यों का विवरण	3-5
2.	धारा 4(1)(ख)(ii)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों और कर्त्तव्यों का विवरण	5
3.	धारा 4(1)(ख)(iii)	निर्णय लेने की प्रक्रिया,पर्यवेक्षण और जवाबदेही प्रणाली का विवरण	5
4.	धारा 4(1)(ख)(iv)	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानकों/नियमों का विवरण	5
5.	धारा 4(1)(ख)(v)	कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम,विनियम,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों का विवरण	6
6.	धारा 4(1)(ख)(vi)	लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण	6-7
7.	धारा 4(1)(ख)(vii)	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण	7
8.	धारा 4(1)(ख)(viii)	बोर्ड,परिषदों,समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	7
9.	धारा 4(1)(ख)(ix)	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका का विवरण	8-9
10.	धारा 4(1)(ख)(x)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	9-10
11.	धारा 4(1)(ख)(xi)	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं,व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)	11
12.	धारा 4(1)(ख)(xii)	अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	12
13.	धारा 4(1)(ख)(xiii)	रियायतों,अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	12
14.	धारा 4(1)(ख)(xiv)	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनार्यें	12
15.	धारा 4(1)(ख)(xv)	सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें	12
16.	धारा 4(1)(ख)(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियों का विवरण	13
17.	धारा 4(1)(ख)(xvii)	अन्य उपयोगी जानकारियों का विवरण	14

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा विभाग,राजस्थान का मैनुअल

धारा 4(1)(ख)(i)

विभाग की विशिष्टियां,कृत्य और कर्त्तव्यों का विवरण—

संस्कृत भाषा ने भारतीय सभ्यता,संस्कृति,संस्कार तथा सम्पूर्ण अध्यात्मतत्त्व की अमूल्य धरोहर का संरक्षण और संवर्धन किया है। संस्कृत भाषा की प्रगति एवं प्रचार प्रसार के लिये सन् 1950 में निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला,राजस्थान, जयपुर का एक स्वतंत्र निरीक्षणालय स्थापित किया गया, जिसके अधीन राजस्थान की समस्त संस्कृत संस्थाएँ(कॉलेज स्तर को छोड़कर) सम्मिलित थी।

राजस्थान सरकार ने संस्कृत की इस धरोहर की सुरक्षा,समृद्धि एवं भारत में आने वाले शैक्षिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते संस्कृत की इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखने की अपनी दूरदर्शिता से सन् 1958 में एक स्वतंत्र संस्कृत निदेशालय की स्थापना की एवं अभावग्रस्त संस्कृत विद्यालयों को पूर्ण सम्बल देकर सामान्य शिक्षा के विद्यालयों के समकक्ष नवीन विषयों के समावेश द्वारा संस्कृत शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाया तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर से संस्कृत परीक्षाओं को सम्बद्ध करा कर इनकी समकक्ष मान्यता को निर्विवाद बनाया।

विभागीय संरचना के उद्देश्य

1. राज्य सरकार की नीति-निर्देशों के परिपेक्ष्य में संस्कृत शिक्षा का प्रचार तथा महाविद्यालयीय एवं विद्यालयीय स्तर पर संस्कृत शिक्षक, प्रशिक्षण तथा शास्त्रीय उच्च अध्ययन की व्यवस्था करना।
2. संस्कृत भाषा का शास्त्रीय, साहित्यिक एवं वैज्ञानिक वैशिष्ट्य प्रतिपादित करना।
3. संस्कृत वाङ्मय में विभिन्न शाखाओं में शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
4. वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य एवं जीवन मूल्यों के संदर्भ में संस्कृत का साहित्यिक, सांस्कृतिक,नैतिक तथा सांस्कारित महत्व प्रतिष्ठापित करना।
5. सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन में संस्कृत विभाग एवं संस्कृत संस्थाओं की भूमिका का सुदृढीकरण।
6. संस्कृत के प्रोत्साहन हेतु संस्कृत के विद्वानों का सम्मान।
7. संस्कृत शिक्षणालयों को सामान्य शिक्षणालयों के बराबर का दर्जा दिलाना।

विभाग के कार्यकलाप

1. महाविद्यालयीय (आचार्य एवं शास्त्री), वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयीय,प्रवेशिका,उच्च प्राथमिक विद्यालयीय एवं प्राथमिक विद्यालयीय संस्कृत शिक्षा का संचालन।

2. संस्कृत महाविद्यालयों(आचार्य एवं शास्त्री) का विश्वविद्यालयों से सम्बद्धन।
3. वरिष्ठ उपाध्याय एवं प्रवेशिका विद्यालयों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,अजमेर से सम्बद्धन।
4. निजी उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों/प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को विभागीय स्तर पर मान्यता देना एवं संचालन कराना।
5. शिक्षा शास्त्री संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों से सम्बद्धन।
6. संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन।
7. सामान्य शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उनके अनुरूप संस्कृत परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों आदि में परिवर्तन/परिवर्द्धन करवाना।
8. राजस्थान में चल रही मान्यता प्राप्त सम्पूर्ण संस्कृत संस्थाओं पर नियंत्रण रखना।
9. संस्कृत विद्वानों को आर्थिक सहायता दिलाना।
10. राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन।
11. राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह के अवसर पर विद्वानों का सम्मान।
12. समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत गृह परीक्षाओं का आयोजन एवं उनका संचालन कराना।
13. समस्त राजकीय संस्कृत संस्थाओं,निदेशालय एवं इसके अधीन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को योग्यता वृद्धि तथा प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान करना।
14. संस्कृत संस्थाओं के लिये विभागीय विद्यालयीय पंचांग तैयार कराना।
15. छात्रवृत्ति दिलाना/देना।
16. संस्कृत संस्थाओं का निरीक्षण करना।
17. विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
18. समस्त अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्तियां,स्थानान्तरण,पदोन्नतियां,पदस्थापन आदि करना तथा सी.सी.ए.रूल्स,1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
19. राजस्थान संस्कृत शिक्षा एवं अधिनस्थ सेवा नियम (विद्यालय शाख) 2015 एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) 2022 सेवानियम के अन्तर्गत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियां, पदोन्नतियां, पदस्थापन,स्थानान्तरण आदि कराना तथा सी.सी.ए. रूल्स,1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही कराना
20. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों की पालना करना/कराना।

धारा 4(1)(ख)(ii)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का विवरण

राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित सामान्य अधिकारों एवं कर्तव्यों का विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा निर्वहन किया जाता है। इसी प्रकार विभागीय नियमावली 1995 के अध्याय-4 "विभाग की व्यवस्था, नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुशासन" में विहित शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। विभाग में समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार निदेशक संस्कृत शिक्षा के पास है।

धारा 4(1)(ख)(iii)

निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और जवाबदेही प्रणाली का विवरण

निदेशालय स्तर पर निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा ही सभी निर्णय लिये जाते हैं। मुख्यालय, संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय तथा आचार्य स्तर तक के महाविद्यालयों के बारे में समस्त दिशा निर्देश निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी किये जाते हैं तथा निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा ही मानिट्रिंग की जाती है। स्थानान्तरण, पदस्थापन तथा वित्तीय मामलों को छोड़कर संभाग स्तर तक के सभी निर्णय संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी स्तर पर लिये जाते हैं। विभाग एवं संभाग के समस्त अधिकारी निदेशक संस्कृत शिक्षा के प्रति जवाबदेह होते हैं। विभागीय स्तर पर प्राप्त प्रशासनिक प्रकरणों पर सहायक निदेशक एवं संयुक्त निदेशक द्वारा परीक्षण एवं टिप्पणी के पश्चात् निदेशक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। वित्तीय प्रकरणों पर सहायक लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा परीक्षण एवं टिप्पणी के पश्चात् निदेशक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है तथा विधिक प्रकरणों में विधि सहायक से परामर्श के पश्चात् निदेशक द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है।

धारा 4(1)(ख)(iv)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानकों/नियमों का विवरण

विभाग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों की पालना करता है। साथ ही विभागीय मानकों का विवरण विभाग द्वारा प्रकाशित नियमावली -1995 में उल्लेखित है। इन्हीं मानकों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

धारा 4(1)(ख)(v)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों का विवरण

कृत्यों के निर्वाहन हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों का प्रयोग किया जाता है :-

1. राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम -1977
2. राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम -1978
3. राजस्थान संस्कृत शिक्षा एवं अधिनस्थ सेवा नियम(विद्यालय शाखा)-2015
4. राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम 2022
5. विभागीय नियमावली -1995
6. राजस्थान सेवा नियम
7. शिक्षा संहिता
8. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान(मान्यता/अनुदान एवं सेवा शर्तों) नियम-1993
9. परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम (कक्षा 1 से12)
10. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम

तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, दिशा निर्देश

धारा 4(1)(ख)(vi)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

क्रम संख्या	प्रवर्ग	उपलब्ध दस्तावेज
1.	संस्थापन	1.रिक्तियों का विवरण 2.कार्यरत कर्मियों की व्यक्तिगत पंजिका
2.	शैक्षणिक	1.विद्यालयोंका भूमि-भवन संबंधी रिकार्ड 2.अनुदानित संस्थाओं का रिकार्ड 3.निजी विद्यालयों की मान्यता संबंधी रिकार्ड

		4.संस्कृत दिवस समारोह पर दिये जाने वाले एवं अन्य पुरस्कारों का रिकार्ड 5.शिक्षण संस्थाओं का परीक्षा परिणाम
3.	लेखा	1.बजट आवंटन संबंधी रिकार्ड 2.व्यय संबंधी रिकार्ड 3.छात्रवृत्ति वितरण संबंधी रिकार्ड 4.वित्त संबंधी अन्य रिकार्ड
4.	विधि	न्यायालयों में दायर विभिन्न प्रकरणों संबंधी रिकार्ड

धारा 4(1)(ख)(vii)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार विभागीय नीति का निर्धारण किया जाता है। जनता/जनप्रतिनिधियों से विभागीय कार्यप्रणाली के संबंध में प्राप्त सुझावों को विभागीय नीति निर्धारण में प्राथमिकता से समाविष्ट किया जाता है।

धारा 4(1)(ख)(viii)

बोर्ड,परिषदों,समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

(क) विद्वत चयन समिति –प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन आयोजित संस्कृत दिवस समारोह के अवसर पर सम्मानित किये जाने वाले संस्कृत के विद्वानों के चयन के लिए निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1. माननीय शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार
2. प्रमुख शासन सचिव,शिक्षा, राजस्थान सरकार
3. संस्कृत विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय
4. वरिष्ठ आचार्य,राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
5. आयुक्त/निदेशक संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर
6. प्राचार्य राजकीय आचार्य महाविद्यालय –एक
7. प्रोफेसर राजकीय आचार्य महाविद्यालय –एक
8. अध्यक्ष राजस्थान संस्कृत अकादमी
9. माननीय विधानसभा सदस्य –दो
10. संयोजक, संस्कृत दिवस समारोह

धारा 4(1)(ख)(ix)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका का विवरण

SER:NO	NAME OF THE EMPLOYEE WITH DESIGNATION	telephone no(w)
1.	MISS PRIYANKA JODHAWAT COMMISSIONER, SANSKRIT EDUCATION	0141-2704357 0141-2704358
2.	DR.SHALINI SAXENA JOINT DIRECTOR	0141-2704357 0141-2704358
3.	LEELA RAM MEENA F.A	0141-2704357 0141-2704358
4.	MAHENDRA KUMAR SHARMA ASST.DIRECTOR	0141-2704357 0141-2704358
5.	RAJESH KUMAR SHARMA ASST.DIRECTOR	0141-2704357 0141-2704358
6.	RAM SWROOP BAIRWA ASSTT ACCOUTANT OFFICER	0141-2704357 0141-2704358
7.	SUNIL SAINI ST.OFFICER	0141-2704357 0141-2704358
8.	BHARAT KUMAR DY- INSPECTOR	0141-2704357 0141-2704358
9.	RISHI RAJ SHARMA P. A.	0141-2704357 0141-2704358
10.	SANDEEP SHARMA P. A.	0141-2704357 0141-2704358
11.	AJAY PANWAR ESTT OFFICER	0141-2704357 0141-2704358
12.	UMA KANT ESTT OFFICER	0141-2704357 0141-2704358
13.	RAKESH SHARMA ESTT OFFICER	0141-2704357 0141-2704358
14.	GURUMUKH BHATIYA ESTT OFFICER	0141-2704357 0141-2704358

Divisional Officers of Sanskrit Education Department

Sr. No.	DIVISIONALSANSKRIT OFFICERS	NAME OF DIV. OFFICE	TELEPHONE NO.
1	DIVISIONAL SANSKRIT OFFICE	JAIPUR	0141-2221077

2	DIVISIONAL SANSKRIT OFFICE	KOTA	0744-2385275
3	DIVISIONAL SANSKRIT OFFICE	UDAIPUR	0294-2410305
4	DIVISIONAL SANSKRIT OFFICE	AJMER	0145-2433544
5	DIVISIONAL SANSKRIT OFFICE	CHURU	01562-252899
6	DIVISIONAL SANSKRIT OFFICE	JODHPUR	0291-2620987
7	DIVISIONAL SANSKRIT OFFICE	BHARATPUR	05644-227200

धारा 4(1)(ख)(x)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्र. सं.	पद नाम	पद का पे बैंड	ग्रेड पे
1	आयुक्त / निदेशक	37400-67000	10000
2	संयुक्त निदेशक	37400-67000	10000
3	सहायक निदेशक	15600-39000	6600
4	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी	15600-39000	6600
5	संभागीय निरीक्षक	15600-39000	6600
6	शैक्षणिक अधिकारी	9300-34800	4200
7	उपनिरीक्षक	9300-34800	4200
8	सहायक उपनिरीक्षक	9300-34800	3600
9	प्राचार्य आ.का.	37400-67000	10000
10	प्राचार्य शा.का.	37400-67000	9000
11	उप निदेशक एसएसआईआईआरटी	15600-39000	6600
12	प्राचार्य व.उपा.	15600-39000	6600
13	प्रधानाध्यापक प्रवे.	15600-39000	5400
14	प्रोफेसर	37400-67000	10000
15	ब्याख्याता	15600-39000	6000
16	व.अ. I ग्रेड	9300-34800	4800
17	व.अ. II ग्रेड	9300-34800	4200
18	अध्यापक III ग्रेड	5200-20200	3600

19	व्यायाम शिक्षक ॥ ग्रेड	9300—34800	4200
20	व्यायाम शिक्षक ॥॥ ग्रेड	5200—20200	3600
21	पुस्त.अध्यक्ष ॥ ग्रेड	9300—34800	4200
22	पुस्त.अध्यक्ष ॥॥ ग्रेड	5200—20200	3600
23	प्रयोगशाला सहायक	5200—20200	2400
24	कार्यालय अधीक्षक	9300—34800	4200
25	निजी सहायक	9300—34800	3600
26	शीघ्र लिपिक	9300—34800	3600
27	कार्यालय सहायक	9300—34800	3600
28	व.लि.	5200—20200	2800
29	कनि.लि.	5200—20200	2400
30	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200—20200	2400
31	वाहन चालक	5200—20200	1900
32	चौकीदार	4750—7440	1300
33	प्रयोगशाला सेवक	4750—7440	1300
34	च.श्रे.क.	4750—7440	1300
35	जमादार	4750—7440	1400
36	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15600—39000	6600
37	सहायक लेखाधिकारी	9300—34800	5400
38	लेखाकार	9300—34800	4800
39	कनिष्ठ लेखाकार	9300—34800	4200
40	मूल्यांकन अधिकारी	9300—34800	4200
41	सांख्यिकी निरीक्षक	9300—34800	4200
42	संगणक	9300—34800	3600
43	विधि अधिकारी	9300—34800	4200

धारा 4(1)(ख)(xi)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

वर्ष 2023-24 का बजट :-

(राशि लाखों में)

मद	योजनाओं के अतिरिक्त	व्यय 06 दिसम्बर 2023	आयोजना	व्यय 06 दिसम्बर 2023	केन्द्र प्रव. योजना	व्यय 31 दिसम्बर 2022	सर्व शिक्षा अभियान	व्यय 30 नवम्बर 2023
निदेशालय महाविद्यालय, विद्यालय, अनुदानित संस्था छात्रवृत्ति संस्कृत भाषा एवं साहित्य का विकास	26811.68	16979.96	177.07	12044.65	-	-	13034.95	13034.95
प्राथमिक शिक्षा	23839.24	15058.98	-	-	-	-	-	-
जनजाति क्षेत्र विकास (796)	582.56	340.87	1937.99	1249.21	-	-	2101.62	2101.62
भवन पूंजीगत व्यय	-	-	937.47	162.20	-	-	-	-
लोक निर्माण (मरम्मत)2059	0.01	-	-	-	-	-	-	-
विशिष्ट संघटक योजना (789)	0.01	-	2298.46	1417.50	-	-	3036.66	3036.66
छात्रवृत्ति	-	-	0.50	0.03	-	-	-	-
विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना	-	-	डंत.50	0.00	-	-	-	-
निजी विद्यालयों को 'शिक्षा का अधिकार' के तहत पुनर्भरण राशि सामान्य व्यय	-	-	303.00	155.41	-	-	-	-
भवन निर्माण (राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)	-	-	60.00	59.94	-	-	-	-
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	-	-	261.20	180.56	-	-	-	-
गैर सरकारी संस्कृत संस्थाओं को अनुदान	-	-	0.01	0.00	-	-	-	-
शिक्षण संस्थाओं को सहायता	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-
शिक्षण संस्थाओं को स्थापना(संस्कृत विद्यालयों का निर्माण कार्य)	-	-	0.02	0.00	-	-	-	-
योग	51233.50	32379.81	22457.84	15269.50	-	-	18173.23	18173.23

धारा 4(1)(ख)(xii)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं नियमों के अनुसार क्रियान्वयन की रीति अपनाई जाती है ।

धारा 4(1)(ख)(xiii)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

धारा 4(1)(ख)(xiv)

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

विभाग संबंधी सभी महत्वपूर्ण सूचनायें विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

धारा 4(1)(ख)(xv)

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें

समस्त नागरिकों को कार्यालय द्वारा मांग किये जाने पर सूचनायें उपलब्ध करायी जाती है, इसके साथ ही विभागीय वेबसाईट के माध्यम से सूचनाओं को डाउन लोड किये जाने की व्यवस्था उपलब्ध करायी हुई है।

धारा 4(1)(ख)(xvi)

**लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियों का विवरण
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में आवश्यक जानकारी**

1	लोक प्राधिकरण का नाम	निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान ,जयपुर
	क पदनाम	आयुक्त /निदेशक
	ख पता	डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल ,जे.एल.एन मार्ग ,जयपुर
	ग दूरभाष	0141-2704357 ,2704358
2	राज्य लोक सूचना अधिकारी	श्री राजेश कुमार शर्मा
	क पदनाम	सहायक निदेशक
	पता	डॉ0 राधाकृष्णन शिक्षा संकुल ,जे.एल.एन मार्ग ,जयपुर
	दूरभाष	0141-2704357 ,2704358
3	लोक सूचना अधिकारी संभाग स्तर पर	संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर-संभाग,जयपुर
		संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर-संभाग,जोधपुर
		संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, बीकानेर-संभाग, बीकानेर
		संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, उदयपुर-संभाग,उदयपुर
		संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, कोटा-संभाग,कोटा
		संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, अजमेर
		संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, भरतपुर
	लोक सूचना अधिकारी(विधालय स्तर)	समस्त प्राचार्य /प्रधानाध्यापक प्रवेशिका /वरि0उपाध्याय विधालय
	लोक सूचना अधिकारी(महाविधालय स्तर)	समस्त प्राचार्य आचार्य /शास्त्री महाविधालय
4	आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ	10 /-रुपये
5	अभिलेखों के निरीक्षण के लिये	प्रथम घंटे कोई फीस नहीं अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनट या उसके भाग के लिये 5 /- रुपये
6	प्रतिलिपि (ए-4 ए-3 आकार में)	2 /-रुपये प्रति पृष्ठ
7	प्रतिलिपि बड़े आकार के पृष्ठ	वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत
8	सैम्पल या मॉडल के लिये	वास्तविक लागत कीमत
9	डिस्क या फ्लॉपी में	50 /- प्रति डिस्क या फ्लॉपी में
10	मुद्रित सूचना के लिये	नियत मूल्य या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति पृष्ठ फोटो के लिये 2 /-रुपये शुल्क राशि नगद/बैंक ड्राफ्ट बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करायी जा सकती है।

धारा 4(1)(ख)गअपपद्ध

अन्य उपयोगी जानकारियों का विवरण

सभी महत्वपूर्ण सूचनायें विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

